हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली आज पेश हुई। वकलाय पक्षकारान उपस्थित। ~~पत्रावली~~ का अवलोकन किया गया। डिक्रीदार नं. 1 ता 4 द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है तथा डिक्रीदारान द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छिपाकर न्यायालय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर विरुद्ध डिक्रीदारान जारी करवाया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है। उक्त प्रकरण के पूर्व भी उक्त पक्षकारान के मध्य न्यायालय में [illegible] भूमि पर वाद विचाराधीन रहते हुए उक्त वाद प्रस्तुत कर दिया गया है तथा प्रार्थना पत्र 212 RTA का पेश कर न्यायालय को गुमराह कर स्थगन जारी करवा लिया गया है स्थगन की आड़ में रेकॉर्ड खातेदार की भूमि में दखलंदाजी कर कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ऐसी स्थिति में स्थगन खारिज करवाया जावे। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण/प्रार्थीगण व डिक्रीदारान की खातेदारी में दर्ज है तथा पूर्व में भी पक्षकारान का वाद न्यायालय में विचाराधीन होने से न्यायालय एक रेकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध स्थगन जारी रखे जाना उचित नहीं। [illegible] है दोनों के हितों का निर्धारण वाद पत्र में तय होंगे लिहाजा ~~इस~~ न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा 06/10/20 निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र 212 RTA अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमित शुमार होकर मूल वाद के साथ शामिल हो।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

भीयाराम

राजस्व आवेदन संख्या 119/20

महोदयजी,

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर जबाव पैश कर निवेदन है कि :–

1. कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है क्योकि प्रार्थी ने मनगढत व बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर मत्र नामान्तरकरण की कार्यवाही के रूकवने की नियत से यह वाद व आवेदन पैश किया है जिसमे प्रार्थी को किसी प्रकार की सफलता मिलने की सम्भावना नही है ।
2. कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 का जबाव यह है कि ग्राम अरटवाव मे खेत खसरा संख्या 411 के खातेदारो का वर्णित वंश वृक्ष के अनुसार विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का वाद ग्रस्त अपनी पैतृक भूमि मे 1/3 हिस्सा प्रथम दृष्टया 1/3 हिस्सा है ।
3. कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 गलत है जबाव है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 की कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट से ग्राम सिन्धासवा हरनियान वर्तमान ग्राम अरटवाव के खसरा संख्य 411 रकबा 102 बीघा खसरा नम्बर 430 रकबा 28–04 बीघा खसरा संख्या 429 रकब 0–05 बीघा भूमि आई हुई थी जिसमे विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का पुश्तेनी हक हिस्सा 1/3 हिस्सा था तथा प्रार्थी का भी पुश्तेनी 1/3 हिस्सा था तथा 1/3 हिस्सा ही विप्रार्थी संख्या 5 से 08 का था तथा प्रार्थी भीया वल्द काछबा ने अपने खसरा संख्या 411 मे से मल रकब 102 बीघा के अपने 1/3 हिस्से मे से 27 बीघा जमीन पूर्व मे बैचान कर चूके है । शेष रकबा 75 बीघा मे प्रार्थी का हिस्सा 2/22 रहा तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का 10/22 तथा विप्रार्थी संख्या 05 से 08 का भी 10/22 हिस्सा रहा उसके बाद विप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने अपने खसरा संख्या 411 रकबा 10/22 मे से 21–02 बीघा प्रार्थी भीयाराम के सन 2017 मे बैचान कर दी बैचान के बाद वर्तमान मे प्रार्थी का हिस्सा यह 3071/8250 है तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का हिस्सा 1429/8250 है तथा ग्राम सांकड मे विप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 का कब्जा काश्त होने से वर्तमान मे 2/3 हिस्सा कोजाराम तथा 1/3 हिस्सा लिछमणाराम का था सेटलमेन्ट के समय भी कब्जा काश्त 2/3 हिस्से पर कोजाराम का कब्जा काश्त था तथा 1/3 हिस्से पर

अधिकारी नही है ।

6. कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 गलत है जबाव है कि द्वितीय सेटलमेन्ट के समय प्रार्थी के पिता काछबाराम स्वंय ने सेटलमेन्ट अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम की गलत इन्दांज को कोजाराम के पक्ष मे हटा लिया था ओर कोजाराम का ही कब्जा काश्त था तथा उस समय उक्त प्रार्थना पत्र मे ग्राम अरटवाव के बारे मे अदला बदली की बात लिखी हुई नही है न ही ऐसी कोई बात हुई थी मात्र सेटलमेन्ट के समय जैसा कब्जा था जैसे ही सेटलमेन्ट के कब्जे के अनुसार ही नाम रखा । सेटलमेन्ट से आज दिन तक ग्राम अरटवाव के सभी खसरो मे 1/3 हिस्सा कोजाराम का ही था जिसमे निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा था । तथा काछबाराम द्वारा ग्राम सांकड से नाम हटवाकर उसके बदले ग्राम अरटवाव मे काछबाराम को जमीन की बात कोजाराम के जीवन काल मे कभी नही हुई तथा कोजाराम के जीवन के बाद उनके वारिस विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के व प्रार्थी के बिच भी इस प्रकार अदला बदली की बात नही हुई थी । विप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने अपने कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 411 मे से 21–02 बीघा व खसरा संख्या 430 व 29 मे अपना 1/3 हिस्सा सन 2017 मे प्रार्थी के पक्ष मे रजिस्ट्री करवाई थी । शेष जमीन विप्रार्थी के पक्ष मे ही रही थी जिस पर विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का अपना शेष हिस्सा 1429/8250 अपने अधिकारो के तहत किसी को भी बैचान रहन करने के लिऐ स्वतन्त्र है।

7. कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 गलत है जबाव है कि प्रार्थी ओर विप्रार्थीगण 01 से 04 व इनके पिता कोजाराम के द्वारा कभी भी कोई अदला बदली के अनुसार ग्राम अरटवाव की जमीन भीयाराम को नही सुपुर्द की न ही कभी ग्राम अरटवाव की जमीन की दुरूस्ती के बारे मे कहा ग्राम अरटवाव की जमीन मे विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का 1/3 हिस्सा वक्त सेटलमेन्ट से निर्विवाद रूप से चलता आ रहा था तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 04 रेकर्डेड खातेदार होने से खसरा संख्या 411 मे अपने 1/3 हिस्से मे से 21–02 बीघा जमीन व खसरा संख्या 430 व 429 मे अपना सम्पुर्ण 1/3 हिस्सा प्रार्थी भीयाराम को जरिये रजिस्ट्री बैचान किया तथा शेष अपने खसरा नम्बर 411 मे 1429/8250 हिस्ससा निर्विवाद रूप से आज दिन तक चला आ रहा था तथा उक्त अपना रेकर्डेड हिस्सा विप्रार्थीगण 01 से 04 बेचान परिवर्तन रहन इत्यादि करने का विधिक अधिकार है । तथा विप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण के हिस्से मे दखन्दाजी नही की है प्रार्थी व विप्रार्थी दोनो सहखातेदार है विप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार होने के नाते इनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । तथा शेष तथ्य भी मनगढत व बेबुनियाद है जो गलत है ।

सेटलमेन्ट से ही अपनी पैतृक भूमि पर काछबा का कब्जा काश्त 1/3 हिस्से पर हो था ।

4. कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 4 गलत है जिसका जबाव है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 के बिच मे पूर्व मे कोई बहामी बंटवारा नही हुआ था बल्कि सांकेड की जमीन पर 2/3 हिस्से के कब्जे काश्त की भूमि कोजाराम के कब्जे मे थी तथा 1/3 हिस्से की जमीन लिछमणाराम के पास मे थी । लेकिन सेटलमेन्ट के कर्मचारियो के भूल से काछबा का भी नाम साथ मे आ गया था लेकिन काछबाराम ने द्वितीय सेटलमेन्ट के समय अपना नाम कोजाराम का कब्जा काश्त होने से कोजाराम के पक्ष मे हटवा लिया था । तथा लिछमणाराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि को बैचान कर दी है ।

5. कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 गलत है जिसका जबाव है कि सेटलमेन्ट के समय प्रार्थी के पिता काछबाराम क स्थायी निवास ग्राम अरटवाव तहसील गुडामालानी मे था तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के पिता कोजाराम का अरटवाव व सांकड दोनो जगह आना जाना व कब्जा काश्त व रहवास था कि ग्राम सांकड मे काछबाराम का कब्जा काश्त नही होने के बावजुद भी रेकर्ड मे काछबाराम का गलत नाम दर्ज हो गया था ग्राम सांकड मे 2/3 हिस्से पर कोजाराम का ही कब्जा काश्त था तथा 1/3 हिस्से पर लिछमणाराम का कब्जा काश्त था काछबाराम ने अपना नाम द्वितीय सेटलमेन्ट के समय कोजाराम का कब्जा काश्त होने से कोजाराम के पक्ष मे अपना नाम हटवा लिया उस समय विप्रार्थी संख्या 01 से 04 इनके पिता कोजा द्वारा कभी भी कोई खेत अदला बदला करने की शर्त व बात नही थी । तथा न ही कभी अरटवाव का कब्जा प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के सुपुर्द किया था । अरटवाव की जमीन पर 1/3 हिस्से पर ही प्रार्थी का कब्जा था जो आज भी है तथा 1/3 हिस्से पर कोजाराम व कोजाराम के परिवार का हिस्सा था तथा 1/3 हिस्सा लिछमणाराम के परिवार का था । कोजाराम के परिवार विप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने अपने हिस्से मे से खसरा संख्या 411 मे से 21–02 बीघा व खसरा नम्बर 430 व 429मे अपना सम्पुर्ण 1/3 हिस्सा सन 2017 मे प्रार्थी को बैचान की तथा शेष रकबा प्रार्थी का 1429/8250 रहा जिस पर आज दिन तक निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा था अब वर्तमान ने विप्रार्थीगण ने अपना खसरा 411 मे अपना हिस्सा 1429/8250 हिस्सा किसी भी व्यक्ति को बैचान रहन इत्यादि करने मे इनका कानूनी अधिकार है । तब विप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने अपना 1429/8250 सुखीदेवी पत्नी रघुवीर जाति जाट को विधिवत रूप से बैचान किया तथा कब्जा भी

मौके पर काबिज है प्रार्थी का हिस्सा 3071/8250 है तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का हिस्सा 1429/8250 है। तथा विप्रर्थी संख्या 05 से 08 का हिस्सा 10/22 है । तथा इसी हिस्से अनुसार बंटवारे करवाने के अधिकारी है ।

9. कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 09 गलत है जबाव है कि विप्रार्थी संख्या 01 से 04 अपनी पैतृक भूमि पर काबिज है । तथा प्रार्थी व विप्रार्थीगण रेकर्डेड सहखातेदार जो अपने अपने हिस्से पर काबिज है विप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखन्दाजी नही की तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 04 अपना हक व हिस्सा बेचान परिवर्तन रहन इत्यादि करने के लिऐ विधिक रूप से स्वतन्त्र है इसलिऐ यदि सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो अपूरणीय क्षति विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के पक्ष मे है । विप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 ने अपना हिस्सा 1429/8250 सुखीदेवी पत्नी रघुवीर को बेचानकिय है उक्त बैचान के नामान्तरकरण को रूकवाने की नियत से यह झुठे गलत व मनगढत तथ्य पैश किये है जो सारहीन होने से खारिज है ।

10. कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 10 गलत है जबाव है कि प्रार्थी व विप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है जो रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता इस स्थिति मे सुविधा का संतुलन भी विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के पक्ष मे है ।

11. कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 11 गलत है जबाव है कि प्रार्थी व विप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है एक दुसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता ।

12. कि शेष वहुहात वक्त बहस निवेदन किये जायेगे ।

अतः विप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से प्रार्थी के आवेदन का जबाव पैश कर निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन मे दिनॉक 06/10/2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमावे ।

इति दिनॉक 2/11/2020

.....

श्रीमान् सहायक कलक्टर (एसडीओ)

गुड़ामालानी जिला बाडमेर (राज0)।

प्रार्थी : –

1. भीयाराम पुत्र काछबाराम उम्र 65 वर्ष जाति विश्नोई निवासी अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर(राज0)।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. प्रहलादराम पुत्र कोजाराम उम्र 65 वर्ष
2. चूनाराम पुत्र कोजाराम उम्र 62 वर्ष
3. किसनाराम पुत्र कोजाराम उम्र 60 वर्ष
4. सूजाराम पुत्र कोजाराम उम्र 55 वर्ष जाति विश्नोई निवासी हाल साकड़ तहसील साचौंर जिला जालोर।
5. हराराम पुत्र लिछमणाराम उम्र 86 वर्ष
6. आदूराम पत्र छोगाराम उम्र 35 वर्ष
7. हापूराम पुत्र छोगाराम उम्र 33 वर्ष
8. खीवणी पत्नी छोगाराम उम्र 55 वर्ष जाति विश्नोई निवासी अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (राज0)।
9. शाखा प्रबन्धक एस0 बी0 आई0 शाखा गुड़ामालानी।
10. शाखा प्रबन्धक एस0 बी0 आई0 शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार– गुड़ामालानी।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0 सपठित आदेष 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी पी सी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने ।

महोदयजी,

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निम्न प्रकार है–

1. यह है कि प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक